बंशीधर बनाम भागीरथ

मु०नं० 36/2018

29/11/23 वादी अधि० प्रकरण में TDR चौमू से कुर्रीजात प्राप्त हुये। जो शामिल रहे। बहस कुर्रीजात पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन एवं आदेश दिनांक 15/12/23 को पेश हो।

15/12/23 वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थागित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 21/12/23 को पेश हो।

21/12/23 वादी अधि० पुनः बहस सुनी। पत्रावली एवं कुर्रीजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मुताबिक कुर्रीजात अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से फक हो एवं दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:08:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–36/2018
उनवान– बंशीधर बनाम भागीरथ वगै0
निर्णय दिनांक– 21.12.2023

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कोर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–36/2018

उनवान

बंशीधर पुत्र श्री रणजीताराम जाति मीणा, निवासी ग्राम चिमनपुरा अणतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. भागीरथ प्रसाद पुत्र श्योजीराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम बुरथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. आंकाक्षा पुत्री बनवारी लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम नयाबास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

(अ0 धारा 53 एवं 188 आर. टी. एक्ट)

निर्णय

दिनांक :–21.12.2023

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.11.2019 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 13.05.2022 अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खसरा नम्बर खसरा नं0 580 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 581 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम देवथला, पटवार हल्का निवाणा, भू0अभि0नि0 क्षेत्र खेजरोली तहसील चौमूं जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. बंशीधर पुत्र रणजीताराम जाति मीणा सा0 चिमनपुरा अणतपुरा खातेदार को खसरा नम्बर 580/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 581/3 रकबा 0.0150 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.0350 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. भागीरथप्रसाद पुत्र श्योजीराम हिस्सा 593[illegible] जाति मीणा सा0 भूरथल आमेर, आंकाक्षा पुत्री बनवारीलाल हिस्सा [illegible] जाति मीणा सा0 नयाबास तह0 नीमकाथाना खातेदार को खसरा नम्बर [illegible]/2 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 581/1 रकबा 0.0350 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.0550 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:08:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

3. बंशीधर पुत्र रणजीताराम हिस्सा 29200 / 58359 जाति मीणा सा0 चिमनपुरा अणतपुरा भागीरथप्रसाद पुत्र श्योजीराम हिस्सा 28762 / 58359 जाति मीणा सा0 भूरथल आमेर आंकाक्षा पुत्री बनवारीलाल हिस्सा 1 / 147 जाति मीणा सा0 नयाबास तह0 नीमकाथाना खातेदार को खसरा नम्बर 581 / 2 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 21.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0 / मुख्यालय)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:08:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–36/2018
उनवान– बंशीधर बनाम भागीरथ वगै0
निर्णय दिनांक– 21.12.2023

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–36/2018

उनवान

बंशीधर पुत्र श्री रणजीताराम जाति मीणा, निवासी ग्राम चिमनपुरा अणतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. भागीरथ प्रसाद पुत्र श्योजीराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम बुरथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. आंकाक्षा पुत्री बनवारी लाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम नयाबास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

1. बंशीधर पुत्र रणजीताराम जाति मीणा सा0 चिमनपुरा अणतपुरा खातेदार को खसरा नम्बर 580/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 581/3 रकबा 0.0150 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.0350 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. भागीरथप्रसाद पुत्र श्योजीराम हिस्सा 59300/60000 जाति मीणा सा0 भूरथल आमेर, आंकाक्षा पुत्री बनवारीलाल हिस्सा 700/60000 जाति मीणा सा0 नयाबास तह0 नीमकाथाना खातेदार को खसरा नम्बर 580/2 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 581/1 रकबा 0.0350 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.0550 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. बंशीधर पुत्र रणजीताराम हिस्सा 29200/58359 जाति मीणा सा0 चिमनपुरा अणतपुरा भागीरथप्रसाद पुत्र श्योजीराम हिस्सा 28762/58359 जाति मीणा सा0 भूरथल आमेर आंकाक्षा पुत्री बनवारीलाल हिस्सा 1/147 जाति मीणा सा0 नयाबास तह0 नीमकाथाना खातेदार को खसरा नम्बर 581/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0[illegible] भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी ....मबलिक .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलि[illegible] तक .... को अदा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:08:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–36 / 2018
उनवान– बंशीधर बनाम भागीरथ वगै0
निर्णय दिनांक– 21.12.2023

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 21.12.2023 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा..........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:08:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner